[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 14/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर)

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि. (अ).- केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उप धारा (5) के साथ पठित संघ राज्यक्षेत्र माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्द्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड-3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा:–

उक्त अधिसूचना में,-

क. अनुसूची I - 2.5% में,-

(i) क्रम सं. 33क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 164 के समक्ष स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, मद ii, के बाद निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथाः-

"iii मैरीन फ्यूल 0.5% (एफओ)";

(iii) क्रम सं. 224 के समक्ष, स्तम्भ (3) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63 [6305 32 00, 6305 35 00, 6309]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 234ख और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जायेगा, यथाः-

"234ग	8509	वेट ग्राइन्डर जिसमें पत्थर लगा हो";

(v) क्रम सं. 235 से 242 का, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

ख. अनुसूची II - 6% में,-

(i) क्रम सं. 80क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जायेगा, यथाः-

"80कक	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युतित और अव्युतित बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, और जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो";

(ii) क्रम सं. 201क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 205 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

“205क	8601	एक बाह्य विद्युत स्रोत या विद्युत एक्यूमीलेटर से चलने वाले रेल लोकोमोटिव्स
205ख	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव्स; लोकोमोटिव परिचारक; जैसे कि डीजल- विद्युत लोकोमोटिव्स, भाप से चलने वाले लोकोमोटिव्स और इसके परिचारक
205ग	8603	स्वतःनोदित रेलवे या ट्रामवे कोचेस, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 से भिन्न हो।
205घ	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतःनोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ, कर्मशाला क्रेने, ब्लास्ट टैंपर्स, ट्रैक लाइनर,परीक्षण कोच और पथ निरीक्षणयान)
205ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री कोचेस जो स्वतःनोदित न हों; मालगाड़ी, डाकघर के कोचेस और अन्य विशेष प्रयोजन के लिए रेलवे या ट्रामवे कोचेस, जो कि स्वतःनोदित न हों (शीर्ष 8604 से भिन्न)
205च	8606	रेलवे या ट्रामवे मालगाड़ी और वैगन, जो स्वतःनोदित न हों
205छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव्स या रॉलिंग-स्टॉक; जैसे कि रेल डिब्बे, बिसल-रेल डिब्बे, एक्सल्स और पहिये, और इनके पुर्जे
205ज	8608	रेलवे या ट्रामवे की पटरियों को फिक्स और फिट करने के लिए; यांत्रिक सिगनल (विद्युत-यांत्रिक सहित), रेलवे, ट्रामवे, सड़क, इन्लैंड वाटर वेज़, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन स्थापना या एयरफील्ड की सुरक्षा या ट्रफिक नियंत्रण यंत्र; उपरोक्त के पुर्जे”;

(iv) क्रम सं. 231ख के समक्ष, कॉलम (3) में “स्लाइड फास्टर्नर्स” शब्द के बाद, “और इसके पुर्जे”, शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा;

ग. अनुसूची III – 9% में,-

(i) क्रम सं. 24क के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द “ नारियल पानी”, के पश्चात शब्द “कैफीनेटेड पेय”, प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम सं. 108 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द “प्लास्टिक के क्लोजर्स” के पश्चात कोष्ठक, अक्षर और अंक “(अनुसूची (ii) क्रम संख्या 80कक के अंतर्गत आने वाले मदों को छोड़कर])” को अंतःस्थापित किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 400 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,
“निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लम्बाई 4000एमएम, से अधिक न हो, यथाः-”
(क) पेट्रोल, लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैंसे (एलपीजी) या कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200सीसी से अधिक न हो; और
(ख) डीजल से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो
दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, बशर्ते कि:

भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के उप सचिव रैंक से अन्यून कोई अधिकारी से यह प्रमाणित करवाना होगा कि उक्त माल का प्रयोग दिव्यांग व्यक्तियों वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा;

और जैसा कि उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सं. 446, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV – 14% में,-

(i) क्रम सं. 12, और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथाः-

"12क	2202 99 90	कैफीनेटेड पेय पदार्थ";

ङ अनुसूची V– 1.5% में,-

(i) क्रम सं. 3, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
(ii) क्रम सं. 4, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

च. अनुसूची VI– 0.125% में,-

(i) क्रम सं. 2 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न चाहे ये कर्मित किए गए हों या नहीं या श्रेणित हों या नहीं लेकिन इनको पिरोया, आरुढ़ या जड़ा न गया हो; अन्य श्रेणित बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूंथे गए हो" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(iii) क्रम सं. 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, "संश्लिष्ट या पुनसंनिर्मित रत्न या उप रत्न चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किंतु जो गूंथे, आरुढ़ या जड़े नहीं हैं; अश्रेणीकृत, संश्लिष्ट या पुनः संनिर्मित रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिए अस्थायी रूप से गूंथे गए हैं, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
(iv) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से लागू होगी।

[फा.सं. 354/131/2019-टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 1/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 710 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 12/2019- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), दिनांक 31 जुलाई 2019 जिसे सा.का.नि 544 (अ.) दिनांक 31 जुलाई 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।